

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 2871/1 Bhanam

Dated: 19/09/2023

Certified that the existing building Riverdale Global School (name of the building or premises) at Jainagar, Kundesar, Mohammadabad, Ghazipur, U.P. (address) comprised of Zero basement(s) and Ground + One upper floors (G+1) owned/occupied by Riverdale Global School (name of the Institution) have complied with the building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.D.P.W.D. Ghazipur (Name of Department/ Govt.) on 15/09/2023 (date of inspection) in the presence of Shri Varun Narain Singh Singh, Kundesar, Mohammadabad, Ghazipur (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes X (X/ XII) with effect from 19/09/2023 for a period of Five years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. NA
2. NA
3. NA
4. NA

Issued on 19/09/2023 at Ghazipur by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

आंध्रशासी अभियन्ता
प्र० ख०, बोनि० वि०
गञ्जीपुर

Name: A. K. Singh

Designation: Executive Engineer

Name & Address of Department/ Office: P. D. P. W. D., Ghazipur

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक :.....

दिनांक :.....

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : रिवरडेल ग्लोबल स्कूल, जयनगर, कुण्डेसर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 137/आ.लि./2023 दिनांक 05-08-2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में रिवरडेल ग्लोबल स्कूल, जयनगर, कुण्डेसर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक : 2871/भवन

दिनांक : 19/09/2023

1. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, रिवरडेल ग्लोबल स्कूल, जयनगर, कुण्डेसर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - रिबरडेल ग्लोबल स्कूल, जयनगर, कृष्णेश्वर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु भवन की चेकलिस्ट	जांच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ (ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण लागू नहीं)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं (प्रथम तल)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	12745.00 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	7.00 मीटर / 3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी. छत है
10	क्या भवन की दीवारों ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ / नहीं (लोहे / एल्युमिनियम की ग्रिल है)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अधिकासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि. विभाग
गाजीपुर